# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 68 / 2021

फूले खां पुत्र माले खां जाति कायमखानी, निवासी गांगियासर, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार बिसाऊ,तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।
2. मूर्ति मन्दिर रायमाता गांगियासर समिति जरिये सदस्य कृष्ण कुमार जानू, तहसील मलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

– रेस्पोडेन्ट

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ
उनवानी सरकार बनाम फूले खां अं0धारा 91 एल0आर0एक्ट 1956
मु0न0 41 / 2021 निर्णय दिनांक 16.08.2021

उपस्थितिः–

1 श्री आबिद एम खान, एडवोकेट ---- -- -------अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट---------------रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से।
3. श्री सुरेन्द्र भाम्बू, एडवोकेट---------------- –रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.09.2021

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम फूले खां मु0नं0 41 / 2021 अ. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– हल्का पटवारी राजस्व ग्राम गांगियासर ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता पर 100 मीटर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर धारा 91 राज0 भू–राजस्व के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा पेश जवाब में यह स्पष्ट किया कि अपीलान्ट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैकटर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। वरन अपीलान्ट का खोखा ग्राम गांगियासर कि आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर पर अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त खोखा 1995 से पूर्व का मौके पर रखा हुआ है। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 399/943 का रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध हलका पटवारी ने गलत रूप से झुठी रिपोर्ट पेश की। जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर यह आपति ली कि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्ति पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किए है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के आवास व दुकानें बनी हुई है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिकार्ड प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर को सिवायचक मानकर अ. धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर रायमाता की खातेदारी भूमि है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि भूमि सरकार की हो अथवा चारागाह, बंजड़, जोहड़ नदी नाले की भूमि हो। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रकरण में अ. धारा 91 भू–राजस्व के तहत कार्यवाही की गई है। जो विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प. 03 (2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर आवासीय भूमि है। अतः अपील अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना-नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- हल्का पटवारी राजस्व ग्राम गांगियासर ने झुठे व मनगढन्त तथ्यों के आधार पर भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता पर 100 मीटर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण करने की झुठी रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर अ,धारा 91 राज0 भू-राजस्व के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब में यह स्पष्ट किया कि अपीलान्ट का विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5 हैकटर पर किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। वरन अपीलान्ट का खोखा ग्राम गांगियासर कि आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर पर अवस्थित है। अपीलान्ट ने उक्त खोखा 1995 से पूर्व का मौके पर रखा हुआ है। चूंकि भूमि खसरा नम्बर 399/943 का रकबा 0.81 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से दर्ज होने के कारण अपीलान्ट के विरूद्ध हलका पटवारी ने गलत रूप से झुठी रिपोर्ट पेश की। जिस पर अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अ. आदेश 7 नियम 11 जा. दी. व धारा 151 जा. दी. का प्रस्तुत कर यह आपति ली कि भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर भूमि किस्म मूर्तिमन्दिर रायमाता सिवायचक के रूप में दर्ज होने के कारण अदालत मातहत को इस प्रकरण को सुनने का अधिकार नही है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा उठाई गई कानूनी आपत्ति पर गौर किए बिना ही दिनांक 16.08.2021 को निर्णय पारित कर अपीलान्ट को बेदखल-करने के आदेश पारित किए है। उक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर भूमि आवासीय भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिस पर अपीलान्ट व अन्य व्यक्तियों के आवास व दुकानें बनी हुई है। इसके बावजूद राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों द्वारा उक्त आवासीय भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर को राजस्व रिकार्ड के नक्शे में गलत स्थान दर्ज व अंकन होने के कारण हल्का पटवारी द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध गलत रिकार्ड प्रस्तुत करने पर अदालत मातहत ने निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अदालत मातहत ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested

विवादित भूमि खसरा नम्बर 399 रकबा 5.00 हैक्टर को सिवायचक मानकर अ. धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के तहत नोटिस दिया है। विवादित भूमि मूर्ति मन्दिर रायमाता की खातेदारी भूमि है। विधि का यह सुव्यवस्थित सिद्धान्त है कि धारा 91 राज0 भू–राजस्व अधिनियम की कार्यवाही उसी स्थिति में की जा सकती है जबकि भूमि सरकार की हो अथवा चारागाह, बंजड़, जोहड़ नदी नाले की भूमि हो। विवादित भूमि खातेदारी की भूमि होने के कारण प्रकरण में अ. धारा 91 भू–राजस्व के तहत कार्यवाही की गई है, जो विधि विरूद्ध है। अदालत मातहत ने अपने निर्णय दिनांक 16.08.2021 में राज्य सरकार के परिपत्र संख्या क्रमांक प. 03 (2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 को आधार मानकर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना है। जबकि अपीलान्ट के कब्जेशुदा भूमि खसरा नम्बर 399/943 रकबा 0.81 हैक्टर आवासीय भूमि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ का निर्णय दिनांक 16.08.2021 निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर गैर मु0 बणी ,अवैध रूप से अतिकमण किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को धारा 91 एल0आर0एक्ट का नोटिस जारी किया गया है जिसकी विधिवत तामील के बाद अपीलांट द्वारा अदालत मातहत में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा वैद्य साबित होता हो। जहां तक विद्धान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि विवादित भूमि आबादी भूमि है और जिला कलक्टर द्वारा आबादी विस्तार हेतु यह भूमि आवंटित की गई थी। अपीलांट आबादी भूमि में आबाद हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested

विद्धान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट नंबर–2 ने राजकीय अधिवक्ता के कथनों से सहमति प्रकट करते हुये कहा कि अपीलांट द्वारा उक्त पट्टे की आड़ में भूमि खसरा नंबर 399 में अतिक्रमण

अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

किया है, जो मूर्ति मंदिर राय माता के नाम दर्ज रिकार्ड है। अगर अपीलांट को राजस्व रिकार्ड नक्शें आदि से कोई आपति है और नक्शे गलत लग रहे हैं तो सक्षम न्यायालय में चाराजोही के लिए स्वतंत्र हैं। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा विधिक प्रकिया के अन्तर्गत अपीलांट को सुना जाकर विधिसम्मत कार्यवाही की गई है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अपीलांट के विरूद्ध यह रिपोर्ट की गई है कि उसने भूमि खसरा नंबर 399 रकबा 5.00 हैक्टर के भाग पर अवैध कब्जा किया है। मूर्ति मंदिर शाश्वत नाबालिग है। मूर्ति मंदिर व गैर मु0 चारागाह की भूमि की रक्षा करने का दायित्व तहसीलदार का बनता है। पटवारी हल्का की अतिक्रमण की रिपोर्ट को गलत मानने का कोई आधार प्रकट नहीं होता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन कि वे आबादी भूमि में काबिज हैं, नक्शा सीट गलत बनी हुई है। इस संदर्भ में अपीलांट नियमानुसार नक्शा सीट दुरूस्त करवाने व सीमाज्ञान करवाने के लिए प्रकिया कर सकता था, जो आज तक उसके द्वारा नहीं की गई है। इस स्तर पर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी, नक्शा को सही होना माना जायेगा और पटवारी हल्का ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड के मुताबिक ही अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन कि मंदिर की खातेदारी भूमि पर धारा 91 एल. आर.एक्ट की कार्यवाही नहीं की जा सकती । राज्य सरकार के परिपत्र कमांक प0 3 (2) राज–6/2007/पार्ट/5 दिनांक 12.09.2018 के अनुसार मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति में पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमी के विरूद्ध राजकीय भूमि की तरह अतिक्रमी के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किये गये हैं। कानून से चारागाह की भूमि व मूर्ति मंदिर जो कि शाश्वत नाबालिग होता है कि खातेदारी की भूमि पर किसी को अनाधिकृत रूप से कब्जा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ के उक्त निर्णय में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। ऐसी सूरत में अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बिसाऊ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.08.2021 उनवानी सरकार बनाम फूले खां मु0 नं0 41/2021 यथावत रखा जाता है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

29.9.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़) अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

झुंझुनू।

निर्णय आज दिनांक 29.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.9.2021

(जगदीश प्रसाद गौड़) अति. जिला कलक्टर झुंझुनूं

अतिरिक्त जिला कलक्टर,

झुंझुनू।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2021.09.30 16:23:11 IST
Reason: SelfAttested